न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2645–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–04–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद ।

.....

1–श्रीमती कुसुम तिवारी पत्नि श्री जयशंकर तिवारी
(मृतक कामता घोषित वैद्य प्रतिनिधि)
2–जयशंकर तिवारी आ0स्व0शिवदुलारे तिवारी
दोनों निवासी डबल फाटक के पास मारूति नगर,
रसूलिया, तहसील व जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नर्मदा प्रसाद शर्मा आ0 स्व0शिवकुमार शर्मा,
निवासी शनिचरा मोहल्ला तहसील व जिला होशंगाबाद
2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष उसके स्वामित्व की मौजा रसुलिया होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 64/2 रकवा 18380 वर्गफुट के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–4–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही

सम्पादित की गई । तहसीलदार के द्वारा पारित इसी आदेश एवं सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 25–8–2015 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदकगण एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है, इसलिये प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) पूर्व में की गई सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रचलित हुई थी और अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सीमांकन कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था, अतः तहसीलदार को उक्त सीमांकन प्रकरण में ही कार्यवाही करना थी, पर आवेदक के आवेदन पत्र पर पृथक से नया प्रकरण दर्ज कर सीमांकन की कार्यवाही करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आदेश 26 नियम 9 सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, इस स्थिति पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रथम अपील प्रकरण कमांक 833/2013 में पारित आदेश दिनांक 16–1–2014 के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही करना थी, जो कि नहीं की गई है ।

(3) प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होशंगाबाद द्वारा दिनांक 1–12–2009 को आदेश पारित कर 13778 वर्गफुट का भूमिस्वामी घोषित किया गया है जिसके कारण व्यवहार न्यायालय में अपील लंबित है । तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में अड़ोसी–पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 द्वारा सीमांकन के माध्यम से आवेदक का लगभग 15 वर्ष पूर्व बना मकान हड़पने का प्रयास किया जा रहा है । उनके द्वारा तहसील

न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं सीमांकन कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं, इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में तहसीलदार का संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से प्रस्तुत छायाप्रतियों के आधार पर किया जा रहा है। सीमांकन प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदकगण के प्रतिनिधि जयशंकर तिवारी उपस्थित हुये हैं और उनकी उपस्थिति में ही सीमांकन किया गया है, अतः आवेदकगण की ओर से उठाया गया यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन की कार्यवाही में उन्हें सूचना नहीं दी गई है और उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । आवेदकगण की ओर से उठाया गया यह आधार भी उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा प्रत्यावर्तन प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही नहीं कर आवेदक के आवेदन पत्र पर पृथक से नया प्रकरण दर्ज कर सीमांकन करने में अवैधानिकता की गई है क्योंकि प्रत्यावर्तन प्रकरण अथवा नये प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही करने से सीमांकन की कार्यवाही अवैध नहीं हो जाती है, जब तक कि सीमांकन की कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं की गई हो और आवेदक की ओर से सीमांकन कार्यवाही दूषित होने संबंधी कोई भी आधार नहीं लिया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एवं की गई सीमांकन की कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–04–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर